

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>23 (1.) मुलन राम पिता स्व० जीतन राम, (2.) सोमर राम, (3.) कुशल चन्द्र राम दोनों के पिता स्व० परन राम, निवास स्थान ग्राम-मेरावल, सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं०-162, खाता संख्या-43, प्लॉट संख्या-87, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसिमिल) (पाँच डिसिमिल) भूमि संगीता लक्ष्मी पति प्रमोद राम, निवास स्थान ग्राम-केवला, पोस्ट-मंझगावों, थाना-पदमा ओ०पी०, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-150/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 544/रा० दिनांक 03.02.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 612 दिनांक 20.04 .2022 से जॉच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि का किस्म रैयती है। खतियानी रैयत तिलक भुइया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.08 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.35 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-43/1 पर मेघन भुइया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2017-18 तक निर्गत है। आवेदकगण के दादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में 30डी० भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में</p>	

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश  
कार्रवाई  
दिप्पणी ता

2

3

प्रस्तावित भूमि का चौहदी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2021-22 तक निर्गत लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।  
अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) मुलन राम पिता स्व0 जीतन राम, (2.) सोमर राम, (3.) कुशल चन्द्र राम दोनों के पिता स्व0 परन राम, निवास रयान ग्राम-मेरावल, सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-नवडीहा, थाना नं0-162, खाता संख्या-43, प्लॉट संख्या-87, रकबा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि संगीता लक्ष्मी पति प्रमोद राम, निवास स्थान ग्राम-केवला, पोस्ट-मंझगावों, थाना-पदमा ओ0पी0, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।